निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्तिसिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 27 / 2019 प्रा. पत्र

निर्णय दिनांक :– 27.11.2019

अनवान

1. श्री देवी लाल पिता नेना गुर्जर उम्र बालिग निवासी जीवाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री गोपी लाल पिता गेना गुर्जर उम्र बालिग निवासी जीवाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. गटु पत्नि भोजा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जीवाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री पन्ना पिता भैरा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जीवाखेडा तहसील देवगढ़

———विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे की जमीन मौजा खाखरडा पटवार सर्कल कालेसरिया तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित है। जिसके खाता सं0 97 आराजी नं0 647 रकबा 1.09, बीघा भूमि है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से विपक्षी जो प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमा के पडौसी हे जो हर समय सीमा सम्बन्धि विवाद करते रहते है। कभी प्रार्थीगण की भूमि की सीमा की पाली को हाक देते है। कभी घास काट लेते है तथा फसल बोहते समय भी विपक्षी प्रार्थीगण की भूमि की सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है। इस समस्या का समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हो सकता है। अतः प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी को सम्मन तामिल हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्ववान वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी प्रार्थीगण की जमीन को हाक देते है। प्रार्थीगण की जमीन में से घास काट लेते है तथा हर समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीगण उनकी जमीन का उपयोग–उपभोग एवं काश्त वगैरह शान्ति पूर्वक नही कर पा रहा है यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का समाधान हमेशा–हमेशा के लिये हो जायेगा और प्रार्थीगण उनकी जमीन का शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभाग एवं काश्त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण की उपर्युक्त वर्णित आराजियात के पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी, एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तवेजो का अवलोकन किया तथा विद्ववान वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। नकल जमाबन्दी, ग्राम खाखरडा सम्वत् 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उनके खाते की भूमि की पत्थगढी करा सकते है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो मौजा खाखरडा पटवार सर्कल कालेसरिया तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित है। जिसके खाता सं0 97 आराजी नं0 647 रकबा 1.09, बीघा कुल किता 1 रकबा 1.09 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकरान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी करवा कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़